(6)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 14.....सन् 2017–18

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार– **सुनिल कुमार यादव वगैरह** प्रतिपक्षी:– **सरकार/सुरेश यादव वगैरह**

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	अर्जीकार:–सुनील कुमार यादव वो अनिल कुमार यादव पे0 रामसागर यादव साकिन–मोजा– बकुआ पो0–भरगामा थाना–भेजा, जिला–मधुबनी। 2– चन्द्र किशोर यादव पे0 बिहारी यादवसाकिन–मौजा–बकुआ पोस्ट–भरगामा, थाना–भेजा, जिला–मधुबनी। प्रतिपक्षी:– 1– भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर 2– अंचल अधिकारी, मधेपुर 3– सुरेश यादव, मुकेश यादव, सुधीर यादव वो सुशील यादव पे0 यामुन यादव, साकिन मौजा–बकुआ, पोस्ट–भरगामा, थाना–भेजा,मधेपुर हाल मोकाम ग्राम–परताहा, थाना–नवहट्टा, पो0 बरहारा, जिला–सहरसा	
27.10.18	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गई। तामिला हेतु अंचल अधिकारी, मधेपुर को भेजा गया। तामिला अप्राप्त रहने पर प्रतिपक्षी को निबंधित डाक से भी सूचना भेजी गई किन्तु प्रतिपक्षी अनुपस्थित रहे। अंचल अधिकारी, मधेपुर के पत्रांक–1656 दिनांक–09.10.2018 से प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिपक्षीगणों की अनुपस्थिति के कारण वाद लंबित रहा। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं अंचल अधिकारी, मधेपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वाद को आदेशार्थ रखा गया। **आवेदक की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश:–** 1–जमाबंदी नं. 763 (शम्भू प्रसाद सिंह के नाम) में से गलत रूप से खारिज हो निर्मित जमाबंदी नं. 1424 खारिज कर प्रश्नगत भूखंड को पूर्व जमाबंदी नं. 763 में वापस किया जाय। 2–मौजे–बकुआ टोला–सुन्दरपुर थाना–भेजा अंचल–मधेपुर में खाता नं. 305 पुराना 875 नया, खेसरा नं. पुराना– 2791 नया–5074 रकवा– 4 बीघा जमीन है जो आवेदक को निबंधित केवाला शंभु प्रसाद सिंह के उतराधिकारी वगैरह से प्राप्त है। 3– प्रतिवादी संख्या–3 बिना किसी सबुत के दखल कब्जा के अंचल अमला को मेल में कर दाखिल खारिज केश संख्या–967/968 एवं 969/05–06 के तहत जमाबंदी नं. 1424 जमाबंदी नं. 763 से खारिज करवा अपने नाम से दाखिल करवा लिया जबकि प्रतिवादी का केवाला शंभु प्रसाद टेकरीवाल से है। 4– प्रतिवादीगण किसी नाजायज व्यक्ति से निबंधित केवाला करवाया है। शंभू प्रसाद सिंह के नाम कायम जमाबंदी नं. 763 में से सिंह/टेकरीवाल टाईटिल में बेईमानी से की गई कलाकारी के तहत अंचल अमला को मेल में किया गया जो न्यायहित में नहीं है। 5– वादीगणों के पिता द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या– 1316/2014–15 बनाम रामसागर यादव दायर किया गया परन्तु अंचलाधिकारी ने वगैरह जॉच किये प्रतिवादियों के नाम दाखिल खारिज कर दिया। 6– अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध दाखिल खारिज अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के यहॉ दायर किया गया परन्तु इन्होंने भी अंचल अधिकारी के आदेश को बहाल रखा।	

अंचल अधिकारी, मधेपुर के पत्रांक–1656 दिनांक–09.10.18 से प्राप्त प्रतिवेदन का मुख्य अंशः–

1–अंचल अधिकारी, मधेपुर के पत्र में संलग्न राजस्व कर्मचारी, हल्का संख्या–6 अंचल मधेपुर द्वारा अंचल अधिकारी को सम्बोधित प्रतिवेदन में लिखा गया है कि मौजा– बकुआ थाना नं. 303 के अंतर्गत पंजी–2 में जमाबंदी संख्या–763 शंभू प्रसाद सिंह के नाम से अंकित है जिसका कुल रकवा 20–0–0 (बीस बिगहा) था जो वर्तमान में रकवा शून्य है। पंजी–2 में शंभू प्रसाद टेकरीवाल करके अंकित नहीं है।

2–**विवादित भूमि खाता पु0 305 खेसरा पु0 2791 रकवा 776–3–6 धूर (सात सौ छिहत्तर बिगहा तीन कट्ठा छः धूर) बनाम गैर मजरूआ मजकूर किस्म जमीन परती कदीम करके पुराने खतियान में दर्ज है** जिसका नया खाता–875 नया खेसरा–5074 रकवा 4.18 डी0 (चार एकड़ अठारह डी0)–बनाम–बाबू शंभू प्रसाद सिंह पिता बाबू विरजानन्दन सिंह जाति –भूमिहार ब्राम्हण निवासी रूना सैदपुर पोस्ट– सनौर जिला–गया हाल मुकाम निज ग्राम टोले जनार्दनपुर दर्ज है।

निष्कर्षः–

प्रतिपक्षी को पक्ष रखने का अवसर दिया गया आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये पता पर निबंधित डाक से भी सूचना दी गयी किन्तु बिना तामिला के वापस डाकघर से लौटा दिया गया। स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी को उक्त जमाबंदी के संबंध में पक्ष रखने हेतु कोई अभिरूचि नहीं है। अंचल अधिकारी, मधेपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है। आवेदक का आवेदन, अंचल अधिकारी, मधेपुर से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिसिलन किया।

आवेदक का आवेदन है कि प्रतिवादीगण किसी नाजायज व्यक्ति यथा शंभू प्रसाद टेकरीवाल से निबंधित केवाला करवाकर जमाबंदी गलत ढ़ंग से कायम कराया गया है। जबकि आवेदकगणों ने वास्तविक जमाबंदीदार के उत्तराधिकारी एवं अन्य से निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि कय कर जमाबंदी कायम कराया। केवाला सही अथवा गलत होने के संबंध में निर्णय करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक हैं जिनका प्रतिवेदन है कि **विवादित भूमि खाता पु0 305 खेसरा पु0 2791 रकवा 776–3–6 धूर (सात सौ छिहत्तर बिगहा तीन कट्ठा छः धूर) बनाम गैर मजरूआ मजकूर किस्म जमीन परती कदीम करके पुराने खतियान में दर्ज है।** पूराने खतियान के आधार पर विवादित भूमि का जमाबंदी रैयती कायम है जो उचित नहीं हैं। सरकारी खाते की भूमि का रैयत के नाम जमाबंदी कायम होना उचित नहीं है। **अतः प्रश्नगत सरकारी खाते की भूमि का रैयत के नाम कायम जमाबंदी नं. 1424 एवं जमाबंदी नं. 763 को रद्द किया जाता है।** आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधेपुर को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजें। अंचल अधिकारी मधेपुर अपने स्तर से आदेश से पक्षकारों को अवगत करा दें। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर को भी भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण सकते हैं।

लेखापित

27/10/18

अपर समाहर्ता,

27/10/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

ज्ञापांक 365/... दिनांक 27.x.18